



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128671

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 17941/2026

सत्येंद्र यादव और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदकों के अधिवक्ता: प्रिया दुबे, रवि झा, शारदेय मिश्रा

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना।
2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 58/2026, यू.पी. गो-वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8 के तहत पुलिस थाना-गहमर, ज़िला गाज़ीपुर में आवेदकों को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, कथित तौर पर आवेदकों के पास से तीन गायें बरामद की गई थीं। आवेदकों के पास से वध करने का कोई हथियार या गोमांस बरामद नहीं हुआ। आवेदकों पर केवल गोवंश के परिवहन का आरोप है। अभियोजन पक्ष के प्रकरण का किसी स्वतंत्र गवाह ने समर्थन नहीं किया है और पुलिस ने झूठी बरामदगी दिखाई है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 17.4.2026 से जेल में बंद हैं और अगर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वे ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इसके विपरीत, शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों को ज़मानत देने का विरोध किया और कहा कि अपराध में शामिल होने के संबंध में आवेदकों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वे ज़मानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर मौजूद सबूतों, आवेदकों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और उनके कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न होने पर विचार करने के बाद, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय यह पाती है कि आवेदक ने ज़मानत पाने के लिए उचित आधार गठित किया है।

7. इसलिए, ज़मानत की आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. **आवेदक - सत्येंद्र यादव और रवि प्रजापति**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल हैं, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही रकम के दो प्रतिभू देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, जमानत आदेश जारी करने से पहले, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदकों को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वे सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि सम्मत आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदकों को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वे बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 /बी.एन.एस.स. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदकों को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहना होगा: (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 /बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदकों की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गैर-हाज़िरी जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के हैं, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण न्यायाधीश की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो वे गवाहों की गवाही के आधार पर बनाएंगे।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”